


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1205]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 1205]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/ VAISAKHA 26, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ.1780(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 2 के खंड (य ट क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त विनियम के विनियम 30 और विनियम 43 के अधीन स्व-प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु अधिसूचित वोल्टेज 11 के.वी. होगी।

[फा. सं. 23/23(i)/2014-आर एंड आर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

S.O.1780(E). — In exercise of the powers conferred by clause (zka) of regulation 2 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that the notified voltage for the purpose of self-certification under regulation 30 and regulation 43 of the said regulations shall be 11 kV.

[F. No. 23/23(i)/2014-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

2470 GI/2016

Uploaded by Dtc. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.


समयमंच-काले

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1204]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 1204]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/VAISAKHA 26, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ. 1779(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि 500 के.वी.ए. से अधिक क्षमता के किसी विद्युत उत्पादन स्टेशन अथवा विद्युत उत्पादन यूनिट (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयों सहित) के सभी संस्थापनों का निरीक्षण वैद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

[फ़. सं. 23/23(ii)/2014-आर एंड आर]
ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016.

S.O. 1779(E).— In exercise of the powers conferred by regulation 32 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that all installations of a generating station or generating unit (including generating units producing electricity from renewable sources of energy) of the capacity exceeding 500 kVA, shall be inspected by the Electrical Inspector.

[F. No. 23/23(ii)/2014-R&R]
JYOTI ARORA, Jt. Secy.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938

No. 1206]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/ VAISAKHA 26, 1938

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

का.आ.1781(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुमंजिला इमारतों की विद्युत आपूर्ति आरंभ होने के स्थान पर (कनेक्टेड लोड को ध्यान में रखे बिना) 11 के.वी. से अधिक सप्लाय वोल्टेज वाले सभी संस्थापनों का निरीक्षण वैद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 23/23(iii)/2014-आर एंड आर]

ज्योति अरोरा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

S.O.1781(E). - In exercise of the powers conferred by regulation 36 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations, 2010, the Central Government hereby specifies that all installations of voltage of supply exceeding 11 kV at the point of commencement of supply (irrespective of the connected load) of multi-storeyed building of more than fifteen metre in height, shall be inspected by the Electrical Inspector.

[F. No. 23/23(iii)/2014-R&R]

JYOTI ARORA, Jt. Secy.

2471 GI/2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.